संख्या-60/2017/1460/22-2-2016-17(22)/2001

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30518/पर-2(एम029-08-2016), दिनांक-09-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 09-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, ग्राम-पचकौरी, थाना-पैलानी, जनपद-बांदा का निवासी है। बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद एवं मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15.04.1981 को सायं लगभग 06:00 बजे के मध्य बंदूको से गोली मारकर 05 व्यक्तियों कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-194/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 28.11.1997 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.08.2016 तक 22 वर्ष 06 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 58 वर्ष लगभग है। प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर से प्राप्त अभिमत दिनांक 22.08.2016 में अवगत कराया है कि दिनांक 15.04.1981 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 भिन्न घटना स्थलों पर जाकर एक दिन में सुनियोजित ढंग से 01 महिला सहित 05 व्यक्तियों की दिन-दहाड़े बर्बर एवं नृशंस हत्या की है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भगीरथ सिंह को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अत: मा0 न्यायालय के विचार से सिद्धदोष बन्दी भगीरथ को समयपूर्व रिहा किया जाना उचित नहीं है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 लोगों की अत्यन्त बर्बरता के साथ बन्दूकों से गोली मारकर नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी भगीरथ सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-60 / 2017 / 1460 / (1) / 22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।